



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार 4 जून, 2026

ज्येष्ठ 14, 1948 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

आबकारी अनुभाग—1

संख्या 735/ई-1/तेरह-2026-1795991

लखनऊ, 4 जून, 2026

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सा०प०नि०-39

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश सहायक आबकारी आयुक्त सेवा नियमावली, 1992 को संशोधित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सहायक आबकारी आयुक्त सेवा (द्वितीय संशोधन)

नियमावली, 2026

1-(एक) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सहायक आबकारी आयुक्त सेवा (द्वितीय संशोधन) संक्षिप्त नाम और  
नियमावली, 2026 कही जायेगी। प्रारम्भ

(दो) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2-उत्तर प्रदेश सहायक आबकारी आयुक्त सेवा नियमावली, 1992, जिसे आगे उक्त नियम 4 का  
नियमावली कहा गया है, में नियम 4 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान उपनियम (2) के संशोधन  
स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

स्तम्भ-1

विद्यमान उपनियम

(2) सेवा का संवर्ग—जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने का आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या निम्न प्रकार होगी—

स्तम्भ-2

एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उपनियम

(2) सेवा का संवर्ग—जब तक उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने का आदेश न दिये जाये, सेवा की सदस्य संख्या निम्न प्रकार होगी —

**स्तम्भ-1****विद्यमान उपनियम**

| पद का नाम                                                                        | संख्या |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|
|                                                                                  | स्थायी | अस्थायी |
| सहायक आबकारी आयुक्त, जिसमें आबकारी आयुक्त के वैयक्तिक सहायक का एक पद सम्मिलित है | 61     | 22      |

नियम 5 का संशोधन

3-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 5 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

**स्तम्भ-1****विद्यमान नियम**

**भर्ती का स्रोत-5-**सेवा में पदों पर भर्ती आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा ऐसे आबकारी अधीक्षकों में से, जो मौलिक रूप से नियुक्त किये गये हों और भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उस रूप में कार्य कर रहे हों, की जायेगी:

परन्तु यदि भर्ती के किसी वर्षों में पदोन्नति के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो पात्रता के क्षेत्र में ऐसे मौलिक रूप से नियुक्त आबकारी निरीक्षकों जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को उस रूप में पन्द्रह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो सम्मिलित करके विस्तार किया जा सकता है।

**स्पष्टीकरण:** परन्तुक में निर्दिष्ट “पन्द्रह वर्ष की सेवा” का तात्पर्य मौलिक नियुक्ति के दिनांक से प्रारम्भ होने वाले पन्द्रह वर्ष की सेवा से होगा:

परन्तु यह और कि, यदि पदोन्नति के लिये पर्याप्त संख्या में पात्र या उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो अर्हकारी सेवा की विहित अवधि को सरकार द्वारा ऐसी सीमा तक, जैसा वह आवश्यक समझे, आबकारी निरीक्षक के पद के लिये विहित परीक्षा की अवधि को अपवर्जित करते हुये, शिथिल किया जा सकता है।

नियम 7 का संशोधन

4-उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान नियम 7 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

**स्तम्भ-1****विद्यमान नियम**

**रिक्तियों का अवधारण-7-**नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

**स्तम्भ-2****एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**

| पद का नाम           | संख्या |         |     |
|---------------------|--------|---------|-----|
|                     | स्थायी | अस्थायी | कुल |
| सहायक आबकारी आयुक्त | 61     | 153     | 214 |

**स्तम्भ-2****एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**भर्ती का स्रोत-5-**सेवा में पदों पर भर्ती चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे आबकारी निरीक्षकों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में बारह वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, की जाएगी।

**स्तम्भ-2****एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**रिक्तियों का अवधारण-7-**नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

5- उक्त नियमावली में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए विद्यमान नियम 8 के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात:-

**स्तम्भ-1**

**विद्यमान नियम**

**पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया-8-पदोन्नति**  
द्वारा भर्ती समय-समय पर यथा संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति प्रक्रिया नियमावली, 1970 के अनुसार श्रेष्ठता के आधार पर की जायेगी।

**स्तम्भ-2**

**एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम**

**पदोन्नति द्वारा भर्ती की**

**प्रक्रिया-8-पदोन्नति** द्वारा भर्ती समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों के लिए) नियमावली, 1992 के उपबंधों के अनुसार गठित चयन समिति के माध्यम से समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिए मानदंड नियमावली, 1994 में दिये गये मानदण्डों के आधार पर की जायेगी।

**टिप्पणी-चयन समिति में**

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के नागरिकों को प्रतिनिधित्व देने के लिए अधिकारियों का नाम निर्देशन, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा 7 के अधीन कृत आदेश के अनुसार किया जाएगा।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी, समय-समय पर यथासंशोधित उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर के पदों पर) चयनोन्नति पात्रता सूची नियमावली, 1986 के अनुसार अभ्यर्थियों की पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजिकाओं तथा उनसे संबंधित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जाये, चयन समिति के समक्ष रखेगा।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है।

(4) चयन समिति, चयनित अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता क्रम में, जैसा कि उस संवर्ग में हो, जिससे उनकी पदोन्नति की जानी हो, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी।

नियम 10 का  
निकाला जाना

6—उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 10 निकाल दिया जायेगा।

नियम 11 का  
निकाला जाना

7—उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 11 निकाल दिया जायेगा।

नियम 13 का  
संशोधन

8—उक्त नियमावली में, नियम 13 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिए गये विद्यमान उपनियम (2) के स्थान पर, स्तम्भ-2 में दिया गया उपनियम रख दिया जाएगा, अर्थात:—

स्तम्भ-1**विद्यमान उपनियम**

वेतनमान—(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय सहायक आबकारी आयुक्त को वेतनमान 2200—75—2800 द0र0— 100—4000 रुपये है।

स्तम्भ-2**एतद्वारा प्रतिस्थापित उपनियम**

वेतनमान—(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय का वेतनमान निम्नानुसार है:—

| पद का नाम              | वेतनमान                                    |
|------------------------|--------------------------------------------|
| सहायक आबकारी<br>आयुक्त | पे-मैट्रिक्स लेवल-10,<br>रू0 56,100-177500 |

नियम 14 का  
निकाला जाना

9—उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 14 निकाल दिया जायेगा।

नियम 15 का  
निकाला जाना

10—उक्त नियमावली में, विद्यमान नियम 15 निकाल दिया जायेगा।

आज्ञा से,  
वीना कुमारी,  
अपर मुख्य सचिव।

-----

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 735/E-1/XIII-2026-1795991 dated June 4, 2026:

No. 735/E-1/XIII-2026-1795991

*Dated Lucknow, June 4, 2026*

IN exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the Governor is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Assistant Excise Commissioners Service Rules, 1992:

**THE UTTAR PRADESH ASSISTANT EXCISE COMMISSIONERS SERVICE  
(SECOND AMENDMENT) RULES, 2026**

Short title and  
commencement

1.(1) These rules may be called 'The Uttar Pradesh Assistant Excise Commissioners' Service (Second Amendment) Rules, 2026.

(2) They shall come into force at once.

Amendment of  
Rule 4

2. In The Uttar Pradesh Assistant Excise Commissioners Service Rules, 1992, herein referred to as the said rules in Rule 4 for existing sub-rule (2) set out in Column-1 below, the sub-rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :—

### COLUMN-1

#### **Existing sub-rule**

(2) **Cader of service-** The strength of the service shall, untill orders varying the same are passed under sub-rule (1), be as follows:-

| Name of the post                                                                               | Number    |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|                                                                                                | Permanent | Temporary |
| Assistant Excise Commissioner, including One post of Personal Assistant to Excise Commissioner | 61        | 22        |

3. In the said rules, *for* existing Rule 5 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

### COLUMN-1

#### **Existing Rule**

**Source of Recruitment-5.** Recruitment to the posts in the service shall be made by promotion through the Commission from amongst such Superintendents of Excise as are substantively appointed and continuing as such on the first day of the year of recruitment:

Provided that if in any year of recruitment sufficient number of candidates are not available for promotion, the field of eligibility may be extended to include such substantively appointed Excise Inspectors who have completed fifteen years service, as such on the first day of the year of recruitment.

**Explanation:-** "Fifteen years service" referred to in the proviso shall mean fifteen years service commencing from the date of substantive appointment.

4. In the said rules, existing Rule 7 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:-

### COLUMN-1

#### **Existing Rule**

**Determination of vacancies-7.** The appointing authority shall determine and intimate the commission the number of vacancies to be filled in during the course of the year as also the number of vacancies to be reserved for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other categories under rule 6.

### COLUMN-2

#### **Sub-rule as hereby substituted**

(2) **Cader of service-** The strength of the service shall, untill orders varying the same are passed under sub-rule(1), be as follows:-

| Name of the post              | Number    |           |       |
|-------------------------------|-----------|-----------|-------|
|                               | Permanent | Temporary | Total |
| Assistant Excise Commissioner | 61        | 153       | 214   |

Amendment of Rule 5

### COLUMN-2

#### **Rule as hereby substituted**

**Source of Recruitment-5.** Recruitment to the posts in the service shall be made by promotion through the Selection Committee from amongst substantively appointed Excise Inspectors who have completed Twelve years of service as such on the first day of the year of recruitment.

Amendment of Rule 7

### COLUMN-2

#### **Rule as hereby substituted**

**Determination of vacancies-7.** The appointing authority shall determine number of vacancies to be filled in during the course of the year.

Amendment of  
Rule 8

5. In the said rules, *for* existing Rule 8 set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely:—

COLUMN-1

*Existing Rule*

**Procedure for recruitment by promotion-8.** Recruitment by promotion shall be made on the basis of merit in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection in consultation with Public Service Commission (Procedure) Rules, 1970, as amended from time to time.

COLUMN-2

*Rule as hereby substituted*

**Procedure for recruitment by promotion-8.** Recruitment by promotion shall be made on the basis of the criterion laid down in the Uttar Pradesh Government Servants Criterion for Recruitment by Promotion Rules, 1994, as amended from time to time, through the Selection Committee constituted in accordance with the provisions of the Uttar Pradesh Constitution of Departmental Promotion Committee for Posts outside the Purview of the Service Commission Rules, 1992, as amended from time to time.

**NOTE-** Nomination of officers for giving representation to the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes and Other Backward Classes of Citizens in the Selection Committee shall be made in accordance with the order made under section 7 of the Uttar Pradesh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act, 1994 as amended from time to time.

(2) The appointing authority shall prepare eligibility list of the candidates in accordance with the Uttar Pradesh Promotion by Selection (on posts outside the pruvieu of the Public Service Commission) Eligibility List Rules, 1986, as amended form time to time, and place the same before the Selection Committee along with their character rolls and such other records, pertaining to them, as may be considered proper.

(3) The Selection Committee shall consider the cases of candidates on the basis of records, referred to in sub-rule (2), and, if it considers necessary, it may interview the candidates also.

(4) The Selection Committee shall prepare a list of selected candidates in order of seniority as it stood in the cadre from which they are to be promoted and forward the same to the appointing authority.

Omission  
of Rule 10  
Omission  
of Rule 11

6. In the said rules, existing Rule 10 shall be *omitted*.

7. In the said rules, existing Rule 11 shall be *omitted*.

8. In the said rules 13 *for* existing sub-rule (2) set out in Column-1 below, the rule as set out in Column-2 shall be *substituted*, namely :—

Amendment  
of Rule 13

COLUMN-1

***Existing sub-rule***

Scale of pay-(2) The Scale of pay of Assistant Excise commissioner at the time of commencement of these rules is Rs. 2200-75-2800 EB-100-4000.

COLUMN-2

***Sub-rule as hereby substituted***

Scale of pay-(2). The Scale of pay at the time of commencement of these rules is as follows:-

| Name of the Posts             | Scale of pay                         |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Assistant Excise Commissioner | Pay Matrix Level-10 Rs. 56100-177500 |

9. In the said rules, existing Rule 14 shall be *omitted*.

Omission of  
Rule 14

10. In the said rules, existing Rule 15 shall be *omitted*.

Omission of  
Rule 15

By order,

VEENA KUMARI,

*Apar Mukhya Sachiv.*